(6)

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–2050/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी.सी.
लखनऊ:: दिनांक– 26 अगस्त, 2021

1. निदेशक,
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियों के सम्बन्ध में।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए छात्रों का समयबद्ध, सतत एवं पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे उल्लिखित किए जा रहे है। ज्ञातव्य हो कि ये सिद्धान्त मात्र सांकेतिक/परिचायक (indicative) हैं। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कृपया इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर Academic Council, Executive Council आदि में गहन विचार–विमर्श करके छात्र मूल्यांकन के मानक और विधियाँ निर्धारित कर लें। Semester-end exam के अतिरिक्त continuous and comprehensive evaluation अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। किस मानक (parameter) को कितनी weightage दी जानी चाहिए, उसका आंकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया एवं व्यवस्था बनायी जानी चाहिए, इन बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारियों के स्तर पर चर्चा कर विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं।

2. छात्र मूल्यांकन सतत, व्यापक एवं समग्र होना चाहिए। यह मूल्यांकन निम्न मानकों पर किया जा सकता है:–

i. शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic assessment)
ii. कौशल मूल्यांकन (Skill assessment)
iii. शारीरिक मूल्यांकन (Physical assessment)
iv. व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality assessment)
v. बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular assessment)
vi. स्वमूल्यांकन (Self assessment)

(i) **शैक्षणिक मूल्यांकनः–**

(क) सतत आंतरिक मूल्यांकनः (Continuous Internal Assessment)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन में शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य कराए जाने चाहिए जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास हो। उदाहरण के लिए project, seminar, role play, quiz, puzzle, test, pratical, survey, book review, student

parliament, screenplay, essay, exhibition, fair, educational, visit आदि कार्यो को सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं/प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें छात्र उपस्थिति (विशेषकर राष्ट्रीय पर्वों व अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर) एवं विभिन्न सामाजिक कार्यो में प्रतिभागिता आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं।

(ख) बाहरी मूल्यांकनः– बाहरी मूल्यांकन का कार्य सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) <u>कौशल मूल्यांकन :–</u>

कौशल से सम्बन्धित विषय का मूल्यांकन सम्बन्धित उद्योग तथा उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। चूँकि कौशल विकास में ट्रेनिंग का अधिक महत्व है, अतः ट्रेनिंग से सम्बन्धित कार्य को 60% तथा परीक्षा (theoretical knowledge) को 40% के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

(क) उद्योग द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– इसमें कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, उद्योग में ट्रेनिंग, internship, apprenticeship, field work आदि कार्य कराए जा सकते है।

(ख) सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– परीक्षा का कार्य सम्बन्धित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा किए जाएगा जिसमें वे लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते है।

महाविद्यालय विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करके कौशल विकास उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित कर सकते है।

(iii) <u>व्यक्तित्व मूल्यांकन :–</u>

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर उच्च शिक्षण संस्थानों को ध्यान देना होगा तथा निम्न कार्यो के द्वारा व्यक्तित्व विकास तथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है:– भाषा (language) एवं सॉफ्ट स्किल (soft- skill), grooming, mock interview, social skill, राष्ट्रीय पर्वो एवं विशिष्ट दिवसों में प्रतिभागिता, आदि।

विद्यार्थियो द्वारा सांस्कृतिक, अकादमिक, रचनात्मक या सामाजिक क्षेत्रों में से किसी एक में अपनी रूचि अनुसार कार्य किया जा सकता है।

(iv) <u>शारीरिक मूल्यांकनः–</u>

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए शारीरिक क्षमता विकसित करने की दिशा में समय समय पर इसका मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जा सकता है:– खेल गतिविधियां, योग, स्वास्थ्य परीक्षण (health checkups), मनोवैज्ञानिक क्षमता, आदि।

प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा किसी खेल का चयन किया जा सकता है तथा संस्थान द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

(v) <u>बहिर्मुखी मूल्यांकनः–</u>

शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार की co-curricular एवं extra-curricular गतिविधियां लगातार संचालित होती रहती है, जिससे छात्र की प्रतिभा का पता लगता

है। शिक्षा संस्थानों को ऐसी सभी extra-curricular गतिविधियों का मूल्यांकन कर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि संभव हो, तो इनके परिणाम को भी मार्कशीट में अंकित करने पर विचार किया जा सकता है।

(Vi) **स्वमूल्यांकन :–**

छात्रों का आत्मबल बढाने के लिए उन्हें स्व मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। यदि यह स्व–मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से स्व निर्देशात्मक सामाग्री (auto-instructional material) के अन्तर्गत हो सके, तो इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी, और छात्र को भी अपने सही स्तर की जानकारी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब छात्र कोई ई–कन्टेन्ट ऑनलाइन सामग्री पढ़ता है, तो उसके बाद उसे सम्बन्धित ई–कंटेन्ट के चार–पॉच प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी वह अगला ई–कंटेन्ट तथा चैप्टर पढ़ सकेगा, इसे पूर्व ज्ञान (prerequisite knowledge) की तरह भी देखा जा सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2021–22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। मूल्यांकन के उपरोक्त पहलुओं को indicative (not exhaustive) मानते हुए अनुरोध है कि छात्र मूल्यांकन हेतु मानक, उनके वेटेज, उनके आकलन की प्रक्रिया आदि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा अविलम्ब कर लिया जाय और छात्रों को समय से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाय ताकि पारदर्शिता एवं एकरूपता बनी रहे।

भवदीया,

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2058 /सत्तर–3–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।